न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 02/2021/अपील

राजेन्द्र कुमार पुत्र कुरडाराम, जाति आचारी, निवासी सालासर रोड़, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर
2. कजोड पुत्र बालु
3. मदनलाल पुत्र बालु
4. डिम्पल पत्नी प्रकाश
5. मनोज दत्तक पुत्र डूंगा
6. बरजी पुत्री डूगा
7. चूंका पुत्री डूंगा
8. कमला पुत्री डूंगा
9. प्रेम पुत्री डूंगा
10. सांहनी पुत्री डूंगा
11. भंवरलाल पुत्र किस्तूरी
12. सांवरमल पुत्र किस्तूरी
13. मुन्नी पुत्री किस्तूरी
14. छोटी पुत्री किस्तूरी

   समस्त जाति जांगिड निवासीगण भैरूपुरा तहसील व जिला सीकर

15. नाबालिग यशराज पुत्र प्रकाश संरक्षक माता डिम्पल

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से।

अपील विरुद्ध नामांतरकरण संख्या 1347 ग्राम जगमालपुरा
आदेश दिनांक 10.11.2020 द्वारा तहसीलदार सीकर

निर्णय

दिनांकः 30 अक्टूबर, 2025

1. अपीलांट **राजेन्द्र कुमार** की ओर से यह अपील वकील **श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत** द्वारा **तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1347 ग्राम जगमालपुरा आदेश दिनांक 10.11.2020** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

   (1) अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष एक दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा तथा दावे के साथ एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विवादित भूमियों खसरा नम्बर 404 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 रकबा 1.76 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.38 हैक्टेयर वाकै ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर के बाबत प्रस्तुत किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 09.10.2020 को उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये तथा दिनांक 09.11.2020 को अप्रार्थीगण को उपस्थित होने के आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 23.10.2020 को प्रार्थी कजोड़मल, मदनलाल, डिम्पल, यशराज, मनोज, बजरंग, जगदीश की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश हुआ, जिसके जवाब के लिए दिनांक 26.10.2020 तारीख पेशी मुकर्रर की गई। इसी दरमियान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पवन व कैलाश की ओर से राजस्व मंडल राज. अजमेर के यहां उपखण्ड अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध निगरानी संख्या 4058/2020 उनवानी प्रकरण पवन बनाम राजेन्द्र कुमार प्रस्तुत की गई जिसमें आगामी तारीख पेशी 11.01.2021 नियत की गई तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये तथा पत्रावली को तलब करने के आदेश जारी किये गये। राजस्व मंडल राज. अजमेर के यहां पत्रावली तलब होने के बाद भी आज दिनांक तक उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी व्यादेश वैध एवं प्रभावी है। राजस्व मंडल राज. अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा जारी स्थगन आदेश की क्रियान्विति व आदेश निरस्त नहीं किया गया है। किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 14 ने विवादित भूमियों के बाबत स्टे आदेश के दरमियान ही नामांतरकरण संख्या 1347 दिनांक 10.11.2020 बिना अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना व जानकारी दिये बिना ही बाला बाला तस्दीक करवा लिया। उक्त आदेश की अपीलांट को पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो पाई। रेस्पोन्डेन्ट सख्या 2 ता 14 एक राय होकर दिनांक 08.02.2021 को विवादित भूमि पर आये तथा अपीलांट को कहा कि आप लोगों का इन जमीनों से कोई लेना देना नहीं है। अपीलांट द्वारा कहा गया यह मेरी पैतृक भूमि है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने हमारे नाम से इन जमीनों का नामांतरकरण खुलवा लिया है। इस पर उक्त नामांतरकरण संख्या 1347 दिनांक 10.11.2020 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल दिनांक 11.01.2021 को प्राप्त होने पर नामांतरकरण की जानकारी हुई। दिनांक 12.02.2021 से प्रार्थी अपीलांट सर्दी जुकाम से पीडित होने के कारण तथा कोरोना के भय के कारण अपने वकील से संपर्क नहीं कर सका।

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 विरूद्ध कानून तथा विरुद्ध पत्रावली है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा विवादित भूमियों के बाबत दिनांक 09.10.2020 के निरंतर वैध एवं प्रभावी रहने के दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अवहेलना करके भरा गया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) तहसीलदार सीकर द्वारा न तो मौके की जांच करवाई गई तथा ना ही नामांतरकरण सम्बन्धी प्रक्रिया व नियमों की पालना की गई।

(4) अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश आज दिन तक भी वैध एवं प्रभावी है तथा राजस्व मंडल राज. अजमेर द्वारा भी स्टे आदेश का क्रियान्वयन न तो स्थगित किया गया है तथा ना ही निरस्त किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 15 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दावा व टी.आई. में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 27.10.2020 को आवेदन किया तथा प्रस्तुत किये गये आवेदन का जवाब अपीलांट की ओर से दिये जाने हेतु आगामी

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

तारीख पेशी 29.10.2020 निर्धारित की गई। उसके पश्चात राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रकरणों की पत्रावली को तलब कर लिया गया। परंतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 15 को सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी विवादित भूमियों के बाबत नामांतरकरण खुलवाने में गंभीर कानूनी भूल की है।

(5) अपीलांट का विवादित भूमियों पर अपने पूर्वजों के समय से कब्जा, काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट अपनी पैतृक भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ता 15 ने अपीलांट को उसके हक हिस्से से वंचित करने की दुर्भावना से तथा साजशी योजना के अंतर्गत नामांतरकरण सम्बन्धी प्रक्रिया करवाई है। विवादित भूमियों के बाबत स्टे आदेश के दरमियान ही नामांतरकरण संख्या 1347 दिनांक 10.11.2020 बिना अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना व जानकारी दिये बिना ही बाला बाला तस्दीक करवा लिया। उक्त आदेश की अपीलांट को पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो पाई।

(6) अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार सीकर द्वारा भरा गया नामांतरकरण संख्या 1347 दिनांक 10.11.2020 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं विधिक आपत्ति आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया, जिसके तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं।

(1) ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 1.62 हेक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 41 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा अवस्थित है जिसके संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना में दर्ज एवं स्वीकृत किया गया नामान्तकरण है, जिसके संबंध में अपीलांट को संपूर्ण तथ्यो की जानकारी होने के बावजूद भी न्यायालय हाजा के समक्ष तथ्यों को छुपाकर यह अपील मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत करके न्यायालय में कपटपूर्वक स्थगन प्राप्त कर लिया, जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित स्थगन आदेश का अवलम्ब लेकर अपील प्रस्तुत की है। उक्त वाद पत्र के वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में दुरभिसंधी करके विभाजन का वाद प्रस्तुत कर स्थगन कपटपूर्वक प्राप्त किया था। जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा पारित डिक्री प्रभावित नही थी, ना ही विधिक प्रक्रिया को बाधित करने एवं ऊपर के न्यायालय के निर्णय को डिफिट देने के लिए नीचे के न्यायालय का स्थगन प्रभावी होता है। इसके अलावा यदि राजस्व मण्डल द्वारा पारित डिक्री के तथ्यों का अवलोकन किया जावे तो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/ 4575/2016/सीकर बउनवानी कजोड़मल आदि बनाम राधेश्याम आदि में दिनांक 28.09.2020 को कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 404 रकबा 1.62 हेक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 41 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर के संबंध में उक्त अपील के अपीलांट्स को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया था उक्त कृषि भूमि के संबंध में उक्त अपील के रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से मिथ्या कयनों के आधार पर डिक्री प्राप्त कर ली थी। जिसका विवेचन करने के पश्चात माननीय राजस्व मण्डल ने डिक्री

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

एवं निर्णय पारित किया। उसके पश्चात राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध इस अपील के अपीलांट राजेन्द्र कुमार पुत्र कुरड़ाराम अन्य ने याचिकाकर्ताओं के साथ मिलकर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित उक्त डिक्री के विरूद्ध एसबी सिविल रिट पिटिशन नं. 12077/2020 बउनवानी राधेश्याम आदि बनाम कजोड़मल आदि याचिका माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.10.2020 को आदेश पारित कर उक्त याचिका को खारिज कर दिया था, एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को यथावत रख दिया था। जिस कारण उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय हो गया। जिसकी इस अपील के अपीलांट को प्रारम्भ से ही जानकारी है। क्योकि उक्त अपीलांट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता संख्या 3 के रूप में पक्षकार था, फिर भी उक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुए दिनांक 25.02.2021 को न्यायालय हाजा के समक्ष नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो कि विधि का दुरूपयोग (Abuse Proseses of law) है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को कोस्ट (Cost) लगाकर खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

(2) अपीलांट द्वारा जिस नामान्तकरण संख्या 1347 वाके ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी है वह नामान्तकरण न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या/टीए/4575/2016/सीकर उनवानी कजोड़मल बनाम राधेश्याम वगैरह में दिनांक 28.09.2020 को पारित डिक्री एवं निर्णय की पालना में दर्ज व स्वीकृत किया गया नामान्तकरण है। उक्त नामान्तकरण को रोकने अथवा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की डिक्री की क्रियान्विति का स्थगन आदेश पारित होने पर ही डिक्री की कियान्विति को स्थगित किया जा सकता है, तथा जब तक सक्षम न्यायालय डिक्री को अपास्त नहीं कर देवे तब तक अपील पोषणीय ही नहीं है। परन्तु जब राजस्व मण्डल द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध याचिकाकर्तागण ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की तब उक्त याचिका को एडमिशन स्टेज पर ही खारिज कर दिया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1347 का उक्त आदेश भी अविवादित नामान्तकरण की श्रेणी में नहीं है, बल्कि विवादित नामान्तकरण की श्रेणी में होकर धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश है जिसकी सुनवायी का क्षेत्राधिकार भी न्यायालय हाजा को नहीं है। परन्तु अपीलांट ने कपटपूर्वक स्थगन प्राप्त करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपील माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की नही होने के कारण भी विधि द्वारा वर्जित है इसलिए भी अपील खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

(3) चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 10.11.2020 को स्वीकृत हुआ था। जिसकी अपील दिनांक 25.05.2021 को प्रस्तुत की है जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि मात्र 30 दिवस है इसलिए अपील सर्वथा मियाद बाहर होने के कारण भी खारिज होने योग्य है।

(4) अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को 5000 रूपये हर्जा लगाया जाकर खारिज किया जाने की कृपा करे।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

3. वकील अपीलांट ने रेस्पो. की ओर से पेश किये गये विधिक आपत्ति आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया गया, जिसके तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं।

(1) आवेदन में ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 1962 हैक्टेयर, पुराना खसरा नम्बर 41 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा अवस्थित होना स्वीकार होना व राजस्व मंडल राज. अजमेर द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना का होना स्वीकार है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि अपीलांट द्वारा अपील सही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा, काश्त है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सीकर में जब दावा व टी.आई. आवेदन प्रस्तुत होने पर टी.आई. आवेदन में न्यायालय द्वारा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रभावी था तो रेस्पो. को नामांतकरण खुलवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था तथा वादी व प्रतिवादी द्वारा आपस में षड़यंत्र रचकर दावा पेश करने का कथन बिल्कुल निराधार है। वास्तविकता यह है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य पैतृक कृषि भूमियों को लेकर विवाद है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विवाद होने के कारण दावा पेश हुआ है। राजस्व मंडल राज. अजमेर में गलत तथ्यों के आधार पर अपील डिक्री की गई जबकि रेसपोन्डेन्ट का न तो कब्जा, काश्त है।

(2) मात्र एक गिरदावरी में नाम होने जो कि खसरे में सही कॉलम में अंकित नहीं है, केवल विशेष विवरण में एक पूर्ण का नाम होने के आधार पर गलत डिक्री पारित की गई है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा सी.बी.आई. में कार्यवाही कर रखी है जो कार्यवाही अलग से चल रही है तथा अपीलांट द्वारा राजस्व मंडल राज. अजमेर द्वारा गलत निर्णय व डिक्री पारित होने पर जिसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में एकल पीठ में अपील प्रस्तुत की गई, जो खारिज होने पर अपीलांट द्वारा डी.बी. में अपील प्रस्तुत होने पर उच्च न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर उभय पक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया है। अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथों के आधार पर एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु पाबंद किया गया है।

(3) रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपने विधिक आपत्ति के आवेदन में कथन किया है कि राजस्व मण्डल राज. अजमेर में डिक्री के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक किया। जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष बंटवारे का दावा व टी. आई. आवेदन प्रस्तुत होने पर सुनकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था, जब राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश प्रभावी होने के पश्चात् नामांतरकरण संख्या 1347 दर्ज किया गया, उस नामांतरकरण में राजस्व मण्डल द्वारा पारित डिक्री का कोई हवाला नहीं है। इसलिए अपील सही एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

(4) आपत्तिकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर खारिज होने के पश्चात् अपीलांट द्वारा राज. उच्च न्यायालय डी.बी. में अपील प्रस्तुत होने पर उभय पक्षों को सुनकर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया है, जो आदेश आज भी वैध एवं प्रभावी है तथा जब उपखण्ड अधिकारी का स्थगन प्रभावी होने के पश्चात् नामांतरकरण संख्या 1347 स्वीकृत होने से विवादित की श्रेणी में आता है। इसलिए अपीलांट की ओर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

से अपील सही तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति चलने योग्य नहीं है तथा इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। जो अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है वह विवादित नामांतरकरण 135(2) में नहीं है। क्योंकि न्यायालय के समक्ष जो अपील नामां. संख्या 1347 के विरूद्ध पेश की गई है, वह अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी के स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद तहसीलदार सीकर द्वारा नामांतरकरण भरा गया है। जिसके विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों एवं श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रस्तुत की गई है। इस कारण रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत की गई विधिक आपत्ति सरसरी तौर पर खारिज किए जाने योग्य है।

(5) अतः जवाब विधिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधिक आपत्ति गलत तथ्यों पर प्रस्तुत की गई होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

4. हमने उभयपक्ष की की बहस सुनी।

वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये विवादित आराजियात पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर का स्थगन होते हुए भी नामान्तरकरण संख्या 1347 तस्दीक किया गया है, जो कि निरस्तनीय है।

वकील रेस्पो. ने विधिक आपत्ति में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अपीलांट द्वारा जिस नामान्तकरण संख्या 1347 वाके ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी है वह नामान्तकरण न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या/टीए/4575/2016/सीकर उनवानी कजोड़मल बनाम राधेश्याम वगैरह में दिनांक 28.09.2020 को पारित डिक्री एवं निर्णय की पालना में दर्ज व स्वीकृत किया गया नामान्तकरण है। अपीलांट राजेन्द्र कुमार ने अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ मिलकर न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित उक्त डिक्री के विरूद्ध एसबी सिविल रिट पिटिशन राज. उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2020 को आदेश पारित कर खारिज कर दिया था, एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को यथावत रख दिया था। जिस कारण उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय हो गया। जिसकी इस अपील के अपीलांट को प्रारम्भ से ही जानकारी है। उक्त नामान्तकरण को रोकने अथवा राजस्व मण्डल राज. अजमेर की डिक्री की क्रियान्विति का स्थगन आदेश पारित होने पर ही डिक्री की कियान्विति को स्थगित किया जा सकता है, तथा जब तक सक्षम न्यायालय डिक्री को अपास्त नहीं कर देवे तब तक अपील पोषणीय ही नहीं है। परन्तु जब राजस्व मण्डल द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध याचिकाकर्तागण ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की तब उक्त याचिका को एडमिशन स्टेज पर ही खारिज कर दिया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1347 का उक्त आदेश भी अविवादित नामान्तकरण की श्रेणी में नहीं है, बल्कि विवादित नामान्तकरण की श्रेणी में होकर धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश है जिसकी सुनवायी का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को नहीं है। इसलिए अपील माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की नहीं होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

वकील अपीलांट ने पुनः अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब विधिक आपत्ति में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, जेर अपील नामान्तरकरण संख्या 1347 ग्राम जगमालपुरा न्यायालय राजस्व मंडल राज. अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अनुपालना का होना स्वीकार है, परन्तु जिस समय उक्त नामान्तरकरण भरा गया उस समय उक्त जेर अपील नामान्तरकरण से सम्बन्धित विवादित आराजियात पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर का स्थगन आदेश प्रभावी था। इसलिए उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है एवं निरस्तनीय है। अपीलांट विवादित आराजियात का काबिज काश्तकार है। न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर एवं राज. उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा पारित निर्णय को डबल बेंच में चुनौती दी गई है जिसमें डबल बेंच द्वारा विवादित आराजियात पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति आदेश पारित किये गये हैं। इसलिए रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत विधित आपत्ति को अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1347 वाके ग्राम जगमालपुरा को खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट हैं–
   - जेर अपील नामान्तरकरण संख्या 1347 वाके ग्राम जगमालपुरा न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में भरा गया है, जिसका अंकन नामान्तरकण पंजिका पर भी है।
   - जेर अपील नामान्तरकरण भरते समय नामान्तरकरण से सम्बन्धित विवादित आराजियात पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर का स्थगन आदेश प्रभावी था।
   - वकील रेस्पो. के कहे गये कथनानुसार उक्त जेर अपील नामान्तरकरण विवादित नामान्तकरण की श्रेणी में होकर धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश है, जिसकी सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। वकील रेस्पो. द्वारा कहे गये उक्त कथनों के खण्डन में वकील अपीलांट द्वारा ऐसा कोई कानून अथवा न्यायिक दृष्टांत भी इस न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि उक्त जेर अपील नामान्तरकरण विवादित श्रेणी का नहीं होकर अविवादित श्रेणी का समझा जावे।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से **खारिज** की जाती है। अपीलांट अन्य सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

7. निर्णय आज दिनांक **30 अक्टूबर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर